

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:-मुसप्र/2015-15/ 822.

दिनांक:- 4/11/15.

आदेश


मण्डल की रामाकृष्णापुरम योजना कोटपुतली में 50 आवासों को नियमानुसार खुली ब्रिकी योजना के माध्यम से अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता तृतीय के प्रस्तावानुसार निम्नांकित आवासों को वित्तीय वर्ष 2015-16 में दिये जाने का लक्ष्य निर्धारित किये जाने के फलस्वरूप पूर्व में स्वीकृत लागत जो माह जून-2015 तक वैध थी, की लागत पर ही निर्देशानुसार स्वीकृत किया जाता है अर्थात् पूर्व स्वीकृत लागत 31.03.2016 (वर्ष 2015-16) तक फ्रीज करते हुये निर्देशानुसार निस्तारण किये जाने की स्वीकृती एतद्वारा प्रदान की जाती है।

खुली ब्रिकी योजना के अन्तर्गत निस्तारण किये जाने आवासों का विवरण:-

क्र. स.	आय वर्ग	आवासों की संख्या	माप	निर्मित क्षेत्रफल	आवासों के क्रमांक	पूर्व स्वीकृत लागत
1.	MIG-A	09	8.00X16.00	56.25 व.मी.	1-A-13, 16 1-B-08, 09, 1-C-02, 03, 04, 1-D-06, 11 = 09	No. F2 (3) costing/ 938/ 554 dated 18.12.2014 Rs. 14,38,800/-
2.	MIG-B	14	9.00X18.00	74.50 व.मी.	1-F-27, 3-D-08, 3-E-01, 05, 09, 3-F-04, 06, 12, 15, 16, 3-G-03, 09, 11, 12=14	No. F2 (3) costing/ 938/ 554 dated 18.12.2014 Rs. 21,44,800/-
3.	HIG	27	11.25X21.00	128.324 व.मी.	3-A-10, 3-B-02, 03, 04, 06, 12, 17, 22, 23, 26, 27, 3-C-01, 02, 04, 09, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 =27	No. F2 (3) costing/ 938/ 554 dated 18.12.2014 Rs. 37,72,400/-


अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-तृतीय/उप आवासन आयुक्त, वृत्त-तृतीय, जयपुर खुली ब्रिकी से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि आवास आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक लम्बित नहीं है, उक्त आवासों के अलावा स्कीम में कोई भी अन्य आवास खुली ब्रिकी हेतु रिक्त नहीं है एवं आवासों का निस्तारण प्रचार प्रसार के माध्यम से किया जावे, तांकि कोई राजस्व हानि न हो। खुली ब्रिकी योजना हेतु उक्त दर्शाये गये आवासों पर कोई न्यायिक विवाद नहीं है एवं आवासों का निरस्तीकरण नियमानुसार किया गया है, यह भी पूर्णतयः सुनिश्चित करे।

उक्त आदेशों को पत्रावली संख्या एफ/302/उप आवासन आयुक्त-तृतीय/आवासीय अभियन्ता-प्रथम, जयपुर की कार्यालय टिप्पणी के पैरा 63/एन व 64/एन पर क्रमशः माननीय आवासन आयुक्त महोदय/अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।


मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव, आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निजी सहायक, सचिव/ वित्तीय सलाहकार/ मुख्य अभियन्ता(मु0), प्रथम/ द्वितीय/ निदेशक (विधि)/ मुख्य सम्पदा प्रबंधक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम/ द्वितीय, / तृतीय अति0 मुख्य नगर नियोजक, रा0आ0म0, जयपुर।
5. उप आवासन आयुक्त वृत्त III राजस्थान आवासन मण्डल, 472465।
6. आवासीय अभियन्ता खण्ड 445 राजस्थान आवासन मण्डल 472465।
7. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड व सभी को मेल करें।
8. सहायक निदेशक, जनसम्पर्क अधिकारी, राज0 आ0 मण्डल, जयपुर।
9. प्रभाषी नागरिक सेवा केन्द्र (मु.) राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।


सम्पदा प्रबंधक (मु0)